



पंजीकृत डाक द्वारा REGISTERED POST WITH AD

Helpline No. of HQ (Spl Ops) BSF Bhilai, Chhattisgarh – 0788-2265291

न० कार्मिक (भर्ती-अनु०) / 22/36/आरक्षक (जीडी- 2022)/महानिरीक्षक (विशेष संक्रिया) / छ.ग. / 2023/11768-11770  
No. Pers (Rectt-Sec)/22/36/CT (GD)-2022/ IG (Spl-Ops) CG/2023/ 11768-11770

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

कार्यालय महानिरीक्षक सामरिक मुख्यालय (विशेष संक्रिया) सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़  
Headquarters Inspector General, (Spl Ops), Border Security Force, Chhattisgarh  
(कार्मिक - भर्ती अनुभाग)

(Pers-Recruitment Section)

बी.एस.पी. उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर/ BSP HS School Building,  
एस.बी. आई. मरोदा-उतई शाखा के विपरीत / Opp SBI Maroda-Utai Br  
रिसाली सेक्टर (भिलाई) / Risali Sector (Bhilai)  
जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) / DISTRICT-Durg (C.G) - 490006  
दिनांक / Dated, the 28 August 2023

TO,

ROLL NO : 8008000728  
NAME : KASUKURTHI SAIBABU  
F/NAME : KASUKURTHI VENKATESWARAO  
ADDRESS : D NO 5-46/2, ADDEPALLI VILLAGE, BHATTIPROLU  
MANDAL, GUNTUR DISTRICT  
DISTRICT : GUNTUR  
STATE : ANDHRA PRADESH  
PIN : 522256  
EMAIL ID : ksaibabu7674@gmail.com  
MOBILE NO : 7674081600

विषय:-सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक(जीडी) पद के लिए चयन-2022

Sub:- **SELECTION FOR THE POST OF CT (GD) IN BSF – 2022**

कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा-2022 के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम रायफल, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी और सचिवालय सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) के पद के लिए आपके द्वारा किए गए आवेदन और कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 20/08/2023 को घोषित परिणाम के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपको सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (जीडी) के पद के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की संशोधित वेतन तालिका स्तर-3 अर्थात रु. 21,700 से 69,100/- और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्तों के साथ निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है:-

With reference to your application for the post of **Constable (GD)** in CAPFs, AR, NIA, and SSF through SSC Examination-2022 and result declared by SSC on dated 20/08/2023, I am directed to inform you that you have been provisionally selected for the post of **Constable (GD)** in BSF in Revised Pay matrix Level-3 of 7<sup>th</sup> CPC i.e. Rs. 21,700 to 69,100/- and other allowances as admissible to Central Govt. employees from time to time subject to following terms and conditions:-

Cont...P|02

- (क) रिपोर्ट करने पर, प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा और शामिल होने की तारीख के बीच की अवधि के दौरान हुई किसी भी बीमारी/विकलांगता/आकस्मिक चोट का पता लगाने/जांच करने के लिए, चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी चिकित्सा जांच की जाएगी और 'फिट' पाए जाने पर ही आपको जौइन करने की अनुमति दी जाएगी।
- (a) On reporting, you will be medically examined by Medical officer to detect/discover any disease/disability/accidental injury acquired during the intervening period of initial medical examination and date of joining and you will be allowed to join only on being found "FIT".
- (ख) आपसीमासुरक्षाबल अधिनियम-1968 एवंसीमासुरक्षा बल नियम- 1969 के समय-समय परसंशोधितप्रावधानोंतथा समय-समय परलागूकेंद्रसरकार के अन्य आदेशों, नियमोंऔरविनियमों के अधीन शासितहोंगे।
- (b) You will be governed by the provisions of BSF Act 1968 and BSF Rules 1969 as amended from time to time and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable from time to time.
- (ग) आपके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की प्राप्ति और आपके द्वारा कोईभी तथ्यात्मक जानकारी छुपाई नहीं गई है, जोकि एक अयोग्यता के रूप में आपको सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त बनाएगी, की संबंधित प्राधिकारी सेपुष्टि होने पर आपकी नियुक्ति तुरंत नियमित करदी जाएगी।
- (c) Your appointment will be regularized immediately on receipt of verification of character & antecedents and confirmation from the concerned authority that no factual information has been suppressed, which would be a disqualification and render you unfit for employment under the Government.
- (घ) प्रारंभमेंआपकोदोवर्ष की परिवीक्षाअवधि पर रखाजाएगा, जिसेनियुक्तिप्राधिकारी द्वारालिखित रूप मेंदर्जकिए जानेवालेकारणोंसेआगेकीअवधि के लिए या ऐसीअवधि जो एक वर्ष सेअधिक न हो के लिए बढ़ायाजासकताहै।परिवीक्षाअवधि के दौरान, यदिनियुक्तिप्राधिकारीकोलगताहैकिकिसीभीकारणसेआप बल का एक कुषलसदस्य बनने के योग्य नहींहैं, तोबिनाकोईकारणबताए या बिनाकिसीअग्रिमनोटिस के आपकीसेवाएंसमाप्त की जासकतीहैं।
- (d) Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reasons or without any advance notice.
- (ड) यदिआपकेंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों के तहतनौकरी,जिसकेलिए कैंडरक्लीयरसेदियागयाहै, स्वीकारकरने के अलावाअन्य कारणोंसे 10 साल की अवधि के भीतरसेवासेत्यागपत्र देतेहैं, तोआपकात्यागपत्र प्रशिक्षण खर्च या 03 महीने के वेतनऔरभत्तोंजोभीअधिकहो, कोसरकारकोवापसकरने के बादहीस्वीकारकियाजायेगा।

(e) If you tender resignation from service within a period of 10 years for reasons other than accepting a job under Central or State Governments or local bodies for which cadre clearance has been granted, your resignation may be accepted only after you refund to Government training cost or 3 months' pay and allowances last drawn by you, whichever is higher.

2. आपकी उम्मीद वारी अस्थायी है और मूल दस्तावेजों जैसे कि बैक्षिक एवं अन्य तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण के रूप में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र और संबंधित सिविल प्रशासनिक प्राधि कारी से इनके सकारात्मक सत्यापन के अधीन है।

2. Your candidature is tentative and subject to production of original documents such as Certificate of education and other technical qualifications, Matriculation or equivalent certificate as proof of age, Caste Certificate & Domicile certificate and its positive verification from concerned civil administrative authorities.

3. पहली नियुक्ति पर ज्वाइन करने के लिए आपकी सीभी यात्रा/दैनिक भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. You will not be entitled for any TA/DA for joining your first appointment.

4. नियुक्ति का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

4. Your appointment will be further subject to:-

(i) सी सु बल नियमावली, 1969 के नियम-7 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति जिसने पति या पत्नी के जीवित रहने पर विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है अथवा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, वह बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(i) Provisions of Rule-7 of BSF rules -1969 envisage that a person who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living or who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall not be eligible for appointment in the Force.

(ii) भारत के संविधान के प्रतिनिश्ठा/विष्वनीयता की शपथलेना (या इसआषय का निर्धारित प्रपत्र परसत्य निश्ठा पूर्वक प्रण करना)

(iii) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the constitution of India (or making a solemn or affirmation to that effect in the prescribed form).

5. आपको एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बुनियादी प्रषिक्षण दिया जाएगा। बुनियादी प्रषिक्षण में असफल होना आपको बल में आगे बने रहनेके लिए अयोग्य बनादेगा।

5. You will be put through Basic training for a specified period. Failure in Basic training shall render you unfit for further retention in Force.

6. आप भारत के किसी भी भू-भाग के साथ-साथ विदेशमें भी सेवाकरने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. You shall be liable to serve in any part of India as well as abroad.

7. आपकी नियुक्ति अस्थाई है जो आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त, शैक्षणिक, तकनीकी शिक्षाप्रमाण पत्र एवंजाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन के दौरान कोई भी दावा/जानकारी गलत पाई जाती है तो भारतीय दंडसंहिता/सी सु बल अधिनियम और अन्य विधि प्रावधानों के तहत की जानेवाली ऐसी आगे की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपकी सेवा बिनाकोई कारण बताए तत्काल समाप्त करदी जाएगी।

7. The appointment is provisional and subject to your character and antecedent, education and the caste/tribe/OBC certificate being verified through proper channel. If the verification reveals that any of your claim/ information is false, your service can be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action, as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code/ BSF Act or any other law.

8. आप केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से सेवा में आने वाले नए कार्मिकों के लिए पुनर्गठित लागू की गई नई परिभाषित अंशदायी पेंशनप्रणाली के अनुसार पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इसलिए, आपको नियुक्ति की तारीख से नई पेंशन प्रणाली के लिए मूलवेतन और मंहगाईभत्ते के 10 % की दर से मासिक योगदान करना होगा।

8. You will be entitled the pensionary benefits as per new restructured DEFINED CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM applicable for the new entrants to the Central Govt. Service from Jan 2004. Therefore, you would make monthly contribution@10% of the Basic pay and DA towards the new pension system from the date of appointment.

9. आपको सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल लमें जाकर यूजर आईडी(उम्मीदवार का नाम) एवंपासवर्ड(जन्म दिनांक डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) डालकर खोलने के उपरांत उस में दर्शायेगये निम्नलिखित फार्म भरकर पुनः पोर्टलमें सबमिट करेगें :-

- (क) नोमिनेशनफार्म।
- (ख) एनरोलमेंटफार्म।
- (ग) अटेस्टेशनफार्म।

9. You are informed to open BSF recruitment portal with user id (Name of Candidate) and password (Date of Birth, DD/MM/YYYY) and following forms to be filled and be submitted :-

- (a) Nomination Form
- (b) Enrolment Form
- (c) Attestation Form

10. यदि आप ऊपरउल्लेखित नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं, तो आपको पुनः चिकित्सा परीक्षा और उसके बाद नामांकन औपचारिकताओंके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिनांक **27.10.2023** को मुख्यालय **STC BSF Udhampur, Po- Roud Domail, Dhar Road, Distt- Udhampur, J & K, Pin-182126** पर रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया जाता है:-

10. If you accept these terms and conditions mentioned above, you are hereby directed to report on **27.10.2023** at **STC BSF Udhampur, Po- Roud Domail, Dhar Road, Distt- Udhampur, J & K, Pin-182126** alongwith following documents for re-medical examination and subsequent enrolment formalities :-

- (क) निर्धारित प्रारूप में दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।  
(प्रतिलिपि संलग्न)
- (a) Character certificates from two Gazetted Officers in prescribed format.  
(Copy enclosed)
- (ख) यदि आप सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में सेवारत हैं, तो निर्धारित प्रारूप में मूल विभाग से सेवामुक्ति प्रमाण पत्र।
- (b) If you are serving in Government/Semi Government Service, discharge/release certificate from parent department in the prescribed format.
- (ग) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पांच पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो।
- (c) Five passport size latest photographs duly attested by a Gazetted Officer.
- (घ) स्थाई निवास/आवासीय प्रमाण पत्र।
- (d) Domicile/Residential certificate.
- (ङ) आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आपके बचत बैंक खाते (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के पहले पृष्ठ की प्रति।
- (e) Aadhar Card, PAN Card, Copy of front page of your savings bank account (in SBI)
- (च) मैस में जमा/व्यय करने के लिए आपके स्वयं के खाते में पर्याप्त धनराशि।
- (f) sufficient money in your account for your own mess deposit/ expenditure.
- (छ) आपका आवश्यकतानुसार, व्यक्तिगत सामान जिसमें पहनने योग्य कपड़े और बिस्तर एवं दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं हों।
- (g) personal belonging including proper clothing and bedding and other items of daily use which may be required to you.

**Note :-**STC BSF Udhampur

Helpline Number for assistance:-**01992-294856**

Nearest Rly Station -Udhampur



FOR INSPECTOR GENERAL  
FTR HQ BSF (SPL OPS) CHHATTISGARH

Copy to :-

1. STC BSF Udhampur
2. Dossier of concerned pers.
3. File